संख्या- 121 /2026 /981 /चार-2026-2932999

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2026**

विषय :- लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय, रामनगर, वाराणसी के सुदृढीकरण आदि कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1287/उ0प्र0सं०नि०-5(173)/2025-26 दिनांक 25 मार्च, 2026 तथा परियोजना प्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम लि0, यूनिट-24, वाराणसी के पत्र सं0 444/कार्य-33/49 दिनांक 24.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय, रामनगर, वाराणसी के सुदृढ़ीकरण आदि कार्यों हेतु रू0 35.32 लाख का विस्तृत आगणन कार्यदायी संस्था-सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम से तैयार कराकर उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु आगणन के परीक्षण हेतु दिनांक 26.02.2026 को आहूत स्क्रीनिंग कमेटी कह बैठक में परियोजना हेतु रू0 35.32 लाख पर संस्तुति प्रदान की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय, रामनगर, वाराणसी के सुदृढीकरण आदि कार्यों हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 35.32 लाख (रू0 पैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं :-

शर्तें/ प्रतिबंध :-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुये कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति शासन एवं संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संग्रहालय निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था- सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 35.32 लाख (रू0 पैंतीस लाख बत्तीस हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय - 42- अन्य व्यय (उ०प्र संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ) मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- महाप्रबंधक/ नोडल संस्कृति विभाग, सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
6-मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
9- प्रभारी, लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय, वाराणसी।
10- परियोजना प्रबंधक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-24, वाराणसी।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in